राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर-302016

क्रमांक—अति निदेश./सीआरएस/2019/17/४०
दिनांक ३१ ७ २०१९

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
मुख्यालय, जयपुर।

विषय:—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन माह जून 2019 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी जिलों के राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन विवरण की सूचना निम्न प्रकार है—

| क्र.सं. | अपीलाधी का नाम व पता | प्रथम अपील फाइल करने की तारीख | पदाधिकारियों का पन्नाम (कार्यालय के नाम के साथ) जिसके आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है। | प्रथम अपील के नियन्त्रण के लिये नियत समय सीमा की अंतिम तारीख | अपील आदेश की तारीख और ध्वे
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

शून्य

भवदीया

(सुरैम भारण)
अतिरिक्त निदेशक (सीआरएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय, जयपुर

०

20.7.19

D:\Manohar\letters2.docx